न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 348/2018

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
1. अमतुल्ला उर्फ छोटी पुत्री करीम बक्स पत्नी रज्जाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सोजत सिटी, तह० सोजत हाल निवासी बिसलपुर तह० बाली जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली 2. हव्सा पत्नी हिसामुद्धीन 3. अनवर पुत्र हिसामुद्धीन 4. बेबी पत्नी रफीक 5. अकरम पुत्र रफीक 6. असरफ पुत्र रफीक 7. जाहिद पुत्र रफीक 8. भूरा पुत्र रफीक 9. इंसाफ पुत्र रफीक 10. साहिरा पत्नी हबीब 11. मो० आसिफ पुत्र हबीब 12. मो० यासिन पुत्र हबीब 13. जमसिदा पत्नी साकिर 14. जाकिर पुत्र साकिर 15. मलिक पुत्र साकिर 16. अफसाना पत्नी साबिर 17. रेश्मा पुत्री साबिर 18. बरकतुल्ला पुत्र निजामुद्धीन तमाम जातियान मुसलमान निवासीगण जाकिर हुसैन कॉलोनी कब्रिस्तान फाटक के सामने, गली नं 3 जोधपुर तह० व जिला जोधपुर राज०। 19. बतुल पुत्री करीम बक्स पत्नी उमर खां जाति मुसलमान निवासी बलवना तह० सुमेरपुर जिला पाली राज०। 20. गणपतलाल पुत्र मूलजी जाति माली निवासी मालियों का बड़ा बास, सोजत सिटी तह० सोजत जिला पाली राज०। 21. लक्ष्मण पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी दिल्ली दरवाजा नयापुरा, सोजत सिटी तह० सोजत जिला पाली राज०। 22. पुखराज पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी दिल्ली दरवाजा नयापुरा, सोजत सिटी तह० सोजत जिला पाली राज०। 23. सुशीला पत्नी गोपाराम जाति माली निवासी दिल्ली दरवाजा नयापुरा,

उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।

24. भंवरलाल पुत्र शिवजी जाति माली निवासी बेरा निम्बड़ीया, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
25. मुमताज शाह पुत्र मेहबुब शाह जाति मुसलमान (फकीर) निवासी खैरादियों की मस्जिद, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गोपाल आचार्य, श्री सोहनलाल गौराणा अधिवक्तागण प्रार्थीया उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 20 से 25 उपस्थित।
3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत स्वयं उपस्थित।

–: **निर्णय** :– दिनांक – 01/07/2025

1. अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया के पूर्वज खुदा बक्श पुत्र नूरा एवं अब्दुल रहमान, करीम बक्श पुत्र खुदा बक्श जाति सिलावट मुसलमान के नाम जोधपुर स्टेट द्वारा जारी पट्टा (1) 6230 गज दिनांक 26/12/1909 को जारी किया गया तथा पट्टा (2) 7471 गज दिनांक 04/06/1912 को जारी किया गया जिसकी पालना में खातेदारी भूमि का जोधपुर स्टेट के आदेश सं. 43 दिनांक 19/06/1912 तथा आदेश सं. 1906 दिनांक 31/12/1909 खसरा सं. 316/317 के नए खसरा नं. 5679 में रकबा 0.79 एयर भूमि में से 0.53 एयर का नामान्तरण खुदा बख्श पुत्र नूरा, अब्दुल रहमान, करीम बक्श पुत्र खुदा बक्श के नाम नामान्तरण सं. 577 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई। इसके पश्चात् खुदा बक्श, अब्दुल रहमान और करीम बक्श के फौत हो जाने से उक्त खातेदारी कृषि भूमि नामान्तरण सं. 584 के तहत दिनांक 17/12/1986 को मुस्मात मेहमूना बेवा अब्दुल रहमान, मुस्समात रहमत बेवा करीम बक्श के नाम से खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी नामान्तरण दर्ज किया गया तथा इसके पश्चात् म्यूटेशन सं. 588 दर्ज किया जाकर मुस्समात मेहमूना बेगा अब्दुल रहमान द्वारा बेचान दिनांक 06/05/1978 बताते हुए विपक्षी सं. 1 द्वारा नामान्तरण दिनांक 25/01/1985 दर्ज किया जाकर मुमताज शाह, मकबूल शाह, मनवर शाह, इकबाल शाह को मुसलमान (फकीर) के नाम खातेदार दर्ज किया गया। उक्त तीनों ही नामान्तरण विपक्षी सं. 1 द्वारा दर्ज किए गए।

2. खुदा बक्श पुत्र नूरा का सजरा खानदान इस प्रकार है कि खुदा बक्श पुत्र नूरा जाति सिलावट मुसलमान, अब्दुल रहमान, करीम बक्श पि0 खुदा बक्श, रहमत(पत्नी) (फौत), अमतुल्ला उर्फ छोटी (पुत्री), बतुल (पुत्रीयां) करीम

उपखण्ड अधिकारी

बवश मेमूना (फौत) पत्नी अब्दुल रहमान, हिसामुद्धीन (फौत), निजामुद्धीन (फौत) (पुत्रान) अब्दुल रहमान, हब्सा (पत्नी), मो0 अनवर, मो0 असलम (फौत) (पुत्रान) हिसामुद्धीन, जैतून (पत्नी) (फौत), रफीक (फौत), हबीब (फौत), साकीर (फौत), साबीर (फौत), बरकमुल्ला (पुत्रान) निजामुद्धीन, बेबी (पत्नी), अकरम, असरफ, जाहिद, भूरा, इंसाफ (पुत्रान) रफीक, शाहिरा (पत्नी), मो0 आसिफ, यासीन (पुत्रान) हबीब, जमसिदा (पत्नी), जाकिर, मलिक (पुत्रान) साकीर, अफसाना (पत्नी), रेशमा, हीना (पुत्रीयां) साबीर हैं।

3. इसके पश्चात् अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सोजत द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 26/87 बअनवान अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सोजत बनाम मेहमूना एवं अन्य माननीय उपखण्ड अधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत कर म्यूटेशन नं. 584 एवं 588 को चुनौती दी जिसमें तहसीलदार, सोजत को विपक्षी सं. 4 बनाया गया जो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31/03/1989 को खारिज फरमाई गई। उक्त निरस्तीकरण आदेश दिनांक 31/03/1989 के विरूद्ध अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 26/87 माननीय अतिरिक्त डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 10/03/1990 को खारिज फरमाई गई। बावजूद भी नगर पालिका, सोजत द्वारा उक्त भूमि को अपने कब्जे में लेने के लिए उक्त म्यूटेशन दर्ज किए गए, लेकिन नगर पालिका, सोजत को न्यायालय द्वारा रिलिफ नहीं मिलने से विपक्षी तहसीलदार, सोजत ने अपने पक्ष में उक्त कृषि भूमि को लेने के लिए न्यायालय के समक्ष एक विविध प्रार्थना पत्र सं. 62/88 तहसीलदार, सोजत बनाम खुदा बक्श एवं अन्य अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत श्रीमान् जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष प्रस्तुत की जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 05/07/1994 को खारिज फरमाई गई। उक्त निर्णय दिनांक 05/07/1994 से व्यथित होकर श्रीमान तहसीलदार सोजत द्वारा एक रेफरेंस/एल.आर/155/94/पाली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जो माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अजमेर द्वारा दिनांक 10/02/1997 को खारिज फरमाई गई।

4. उक्त निरस्तीकरण आदेश दिनांक 10/06/1997 को रिव्यू में चुनौती देते हुए विपक्षी सं. 1 द्वारा रिव्यू पिटिशन सं. 53/99 माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 02/05/2000 को खारिज फरमाया गया। उक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध तहसीलदार जानबूझकर पक्षकार को परेशान करने की नियत से मुख्य खातेदार के वारिस होने के बावजूद भी एक एस.बी. सिविल. रिट पिटिशन सं. 3033/2001 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो

उपखण्ड अधिकारी (पाली)

विचाराधीन है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुकाम भाखर से दर्ज थी जो जोधपुर स्टेट के आदेशानुसार 0.79 एयर खातेदारी खुदा बक्श पुत्र नूरा, अब्दुल रहमान, करीम बक्श पुत्र खुदा बक्श के नाम दर्ज करनी थी जो सेटलमेंट विभाग द्वारा गलती से उक्त कृषि भूमि को 0.53 एयर दर्ज कर दी जिसकी पालना में तहसीलदार, सोजत द्वारा नामान्तरण सं. 577 दर्ज कर 0.53 एयर भूमि ही खातेदारी में दर्ज की जो विधि विरूद्ध है।

5. इस बाबत एक विधिक नोटिस रेस्पोंडेंट सं. 1 को दिनांक 25/01/2017 को दिया था लेकिन इसके बावजूद रेस्पोंडेन्ट विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा नामान्तरण सं. 577 रकबा 0.79 एयर भूमि की खातेदारी खुदा बक्श पुत्र नूरा, अब्दुल रहमान, करीम बक्श पुत्रान् खुदा बक्श कौम सिलावट मुसलमान देय खातेदार के नाम 0.53 गैर मुकाम भाकर दर्ज किया गया जो विधि विरुद्ध है।

6. नामान्तरण सं. 577 रेस्पोंडेन्ट सं. 1 द्वारा खसरा सं. 5679 रकबा 0.79 हेक्टेयर गैर मुकाम भाकर का दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन तहसीलदार भू–अभिलेख, सोजत द्वारा उक्त खसरान में रकबा 0.79 एयर के स्थान पर कांट–छांट कर 0.53 एयर गैर मुकाम भाकर के नाम दर्ज किया जो कि विधि विरुद्ध है।

7. इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा सेटलमेंट द्वारा की गई त्रुटी से नामान्तरण संख्या 577, खसरा सं. 5679, रकबा 0.53 एयर गैर मुकाम भाकर दर्ज किया गया, जिसे रकबा 0.79 एयर दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

8. इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 2 से 19 बावजूद सूचना/तामीली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1, 20 से 25 द्वारा पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश करने में विफल रहने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

9. वादग्रस्त कृषि भूमि के मौका एवं राजस्व रेकर्ड की जांच हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/राजस्व/2022/2187 दिनांक 02.08.2022 के जरिये निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के ख0नं0 5679 रकबा 0.7900 है0 की जांच की गई। वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार ख0नं0 5679 रकबा 6.07 है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ (खनिज संभावित क्षेत्र) राजस्व रेकर्ड में सिवायचक भूमि दर्ज हैं। मौके पर उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि पर पक्के मकान हॉल व दुकाने बनी हुई हैं। उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

माप जिसकी लम्बाई 156 मीटर व चौड़ाई 38 मीटर हैं, की रिपोर्ट पेश की। सा0मि0 हैं।

10. बहस वकुलाय एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा सेटलमेंट द्वारा की गई त्रुटी से नामान्तरण संख्या 577, खसरा सं. 5679, रकबा 0.53 एयर गैर मुकाम भाकर दर्ज किया गया, जिसे रकबा 0.79 एयर दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 20 से 25 ने व्यक्त किया कि प्रार्थीया द्वारा श्रीमान के न्यायालय में सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के ख0नं0 5679/6356 रकबा 0.53 है0 की कृषि भूमि के संबंध में राजस्व वाद सं0 116/2007 अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 183 आर0टी0 एक्ट के तहत पेश किया था, जिसे श्रीमान न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर विवेचन के बाद प्रार्थीया का उक्त वाद दिनांक 26.12.2012 को खारिज किया गया। प्रार्थीया द्वारा जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष पेश की, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2014 को प्रार्थीया की उक्त अपील को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री बहाल रखा गया। प्रार्थीया द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पेश की, जिसे भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया गया। अतः प्रार्थीया का उक्त प्रा0पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

11. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, अन्य फहरिस्त मय दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता कर बहस वकुलाय एवं तहसीलदार सोजत पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि ख0नं0 5679 रकबा 0.53 है0 को 0.79 है0 को दुरूस्त करने का प्रा0पत्र पेश किया, जबकि तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त खसरा 5679 का राजस्व रेकर्ड में रकबा 6.07 है0 सिवायचक दर्ज सुदा हैं। जो अपने आप में विरोधाभाषी हैं। वर्तमान में प्रार्थीया वादग्रस्त कृषि भूमि ख0नं0 5679 की खातेदार नहीं हैं। प्रार्थीया का उक्त प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत विधिक प्रावधानों के तहत 1. लिपीकीय त्रुटि 2. ऐसी त्रुटि जो दोनो पक्षकारान द्वारा स्वीकार की गई हो 3. अभिलेखीय संधारण के समय संज्ञान में आने वाली

उपखण्ड अधिकारी

त्रुटि। भू अभिलेख अधिकारी द्वारा संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर इन त्रुटियों को दुरूस्त किया जा सकता है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण धारा 136 एल0आर0 एक्ट के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता हैं तथा वादग्रस्त कृषि भूमि सिवायचक होने से "LOCUS STANDI" भी प्रार्थीया को नहीं हैं। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थीया का उक्त प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

12. —: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

13. यह निर्णय आज दिनांक 01/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (पाली)